न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22/2015 (उदयपुर आर्डर)

मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद जमाल बोहरा (हसनजी), निवासी खेरवाड़ा तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सिंगा पिता हांजा जी मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. थावरचन्द पिता हांजा जी मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मंगलाराम पिता रामा जी मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 17-08-2015 प्रकरण सं॰ 38/2012 (आवंटन निरस्ती)

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 3
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा विपक्षी/अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 सरकार के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा की आराजी नंबर 1702 व 2867/1702 किता 2 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगणों का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, जिसे 100 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है तथा प्रार्थीगणों के मकान बने होकर निवास कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के समक्ष की कार्यवाही के दौरान हुई। प्रार्थीगण ने आक्षेपित

आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु तहसील खेरवाड़ा व उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से चाराजोही की, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर कार्यालय द्वारा कथित पत्रावली के उपलब्ध नहीं होने की टिप्पणी के साथ पत्र जारी किया उसके आधार पर विपक्षी को किये गये अविधिक आवंटन निरस्ती को निम्न आधारों पर आक्षेपित करते हैं :–

विपक्षी ने अपने परिवाद में साबिक आराजी नंबर 827 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा पत्रावली संख्या 337/68 दिनांक 01–04–1968 से उसे किया जाना बताया, जिसके बटा नंबर 827/1 दर्शाया व इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का से प्राप्त प्रमाणित नक्शे की प्रति को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अपीलाधीन आक्षेपित निर्णय में विपक्षी संख्या 1 को आंवटन 6 बीघा भूमि ग्राम बंजारिया की सरहद से अन्दर तरफ स्थित होना स्वयं में प्रमाणित है। यहां पर आक्षेपित आवंटन आदेश के पश्चात् दुरस्ती के प्रार्थना पत्र की पत्रावली पर प्रस्तुत विपक्षी के स्वीकृत तथ्य की उसे जिस भूमि भाग का आवंटन हुआ था उसकी छाया प्रति का पुर्नप्रकाशन किया जा रहा है, जो 4 (अ) में अंकित है। इसी प्रकार 6 बीघा भूमि के ज्यामितीय आधार को दर्शाता नक्शा जो कि नामान्तरकरण संख्या 23 पर चस्पा है, उसकी छवि का पुर्नमुद्रण 4 (ब) में किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत वाद कार्यवाही में वादग्रस्त भूमि को दर्शाता नक्शा जिसमें वादग्रस्त भूमि ग्राम बंजारिया के सरहद से लगती हुई हाल आराजी नंबर 1702 एवं 2867/1702 को दर्शाते नक्शे की छवि 4 (स) में अंकित है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि भाग ग्राम बंजारिया की साबिक आराजी नंबर 827 में से बटा नंबर 827/1 डालते हुए 6 बीघा भूमि आवंटित किया जाना विपक्षी के कथनों से स्वीकृत है तथा इस बाबत् विपक्षी ने उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर की पत्रावली संख्या 8/91 में पारित अपीलाधीन आक्षेपित आदेश दिनांक 29–06–1991 को माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रश्नगत किया गया है, जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त पत्रावली का अवलोकन करवाया जिसमें अपीलान्टगण को विपक्षी संख्या 1 की ओर से अपने को आवंटित 6 बीघा भूमि को दर्शाते एक नक्शे की प्रमाणित पेश की है, जिसकी प्रति देने से प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सलुम्बर के कार्मिकों द्वारा इंकार किया गया, जो इस प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण

के लिए सुसंगत हो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रार्थीगण की दावाकृत भूमि ग्राम बंजारिया की सीमा में स्थित है, उसका ज्यामितीय आकार त्रिकोणीय है, जबकि विपक्षी को आवंटित भूमि चतुर्भुजाकार है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे की आराजी नंबर 1702 व 2867/1702 को वर्तमान में अपने नाम दर्ज करवा लेने के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। विपक्षी का न तो उसको आवंटित सरहद के अन्दर की भूमि पर न ही सरहद के किनारे जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है, लेशमात्र पर भी विपक्षी का कब्जा नहीं है। विपक्षी को आवंटित भूमि पृथक होकर काफी दूर है। इस कारण विपक्षी केवल मात्र इन्द्राजात के आधार पर किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पुराने कब्जे एवं बने हुए मकानात की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कथित आवंटन के पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियम 5, 6 की पालना नहीं की गयी है, न ही नियम 7 के तहत उद्घोषणा जारी हुई है। आवंटन करने से पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियम 8, 9 व 10 की भी पालना नहीं की गयी है। अतएवं विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन के साथ धारा 5 व 14 मयाद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी को मिसल संख्या 237/68 से वर्ष 1968 में मौजा बंजारिया की साबिक आराजी नंबर 827/1 का नियमन किया गया है, जो पुराने कब्जे के आधार पर किया गया है, जिसका इन्तकाल नंबर 23 होकर जमाबन्दी में इसका दाखला दिनांक 01–02–1971 को किया गया है। यह नियमन 1968 का है, जिसके करीब 44 वर्ष बाद यह आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि जमीन का आवंटन हुआ ही नहीं है तो आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। नियमन निरस्ती का प्रावधान कृषि भूमि आवंटन 1970 के नियम 20 के प्रोवीजों में किया हुआ है तथा नियमन निरस्ती का प्रावधान दिनांक 27–07–1972 को जोड़ा गया है, इस कारण इस दिनांक के बाद के ही किये गये नियमन में नियमन निरस्ती का प्रावधान लागू होता है, इससे पूर्व किये गये नियमन पर नियमन निरस्ती के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र नियमन

निरस्ती का लाई नहीं होता है, क्योंकि यह दिनांक 27–07–1972 के पूर्व का है, जिसके अपील की मयाद 60 दिन है। दौराने सेटलमेन्ट गलती से उक्त भूमि पुनः बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, जिसके लिए सरकार ने इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के यहां पेश किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 21–06–1991 को पुनः आराजी नंबर 1702 रकबा 0.6500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2867/1702 रकबा 0.3000 हैक्टर पुनः विपक्षी के खाते दर्ज करने के आदेश दिये। उसी अनुसार भूमि विपक्षी के खाते दर्ज है। अतएवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पर निरस्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरस्ती की पत्रावली दिनांक 06–02–2014 को तलब किये जाने का आदेश उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर को दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को ही मौके की रिपोर्ट तलब करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा को दिया। विपक्षी की उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रार्थीगण द्वारा दिया गया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा विस्तृत जवाब देते हुए कथन किया कि उसे आवंटित 6 बीघा जमीन उसे नापकर उसका कब्जा सिपुर्द किया गया तथा यह 1968 में किया गया। जमीन सेटलमेन्ट के समय पुनः बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जिसके संबंध में विपक्षी संख्या 1 ने इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के यहां की जहां विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती का आदेश दिया गया। आराजी नंबर 827/1 का मौके पर पटवारी द्वारा नापकर कब्जा सिपुर्द किया गया, जहां आज भी विपक्षी का कब्जा है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर नक्शे की छवि गलत दर्शायी है। विपक्षी ने जवाब की कलम संख्या 4 में यह कथन किया है उसे आराजी 827/1 का आवंटन नियमानुसार हुआ है। वादग्रस्त जमीन सड़क के किनारे आ जाने से प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है। प्रार्थीगण को मूल आवंटन कब किया गया यह कहीं नहीं बताया है। जवाब की कलम संख्या 5 में कथन किया कि उसे आवंटन 1968 में किया गया है तब से आज दिनांक तक उसका लगातार कब्जा चला आ रहा है, जिसे 44 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। अतिरिक्त जवाब में कथन किया कि आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र 44 वर्ष बाद पेश किया गया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन नियम 1957 के तहत बने नियमों में से किसी भी नियम का उलंघन होना नहीं बताया है, न

ही आवंटन धोखे से व मिसरिप्रेजेन्टेशन से होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 17–08–2015 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट के नाम दर्ज शुदा भूमि आराजी नंबर 1702 व 2867/1702 कुल किता 2 रकबा 0.9500 हैक्टर भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–09–2015 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर वकील श्री हर्षद मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि उसे कथित जमीन का नियमन सन् 1968 में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सर्कुलर के तहत किया गया तथाकथित नियमन निरस्ती का उस समय कोई प्रावधान नहीं था। नियमन निरस्ती का पहली बार प्रावधान दिनांक 27–07–1972 को जोड़ा गया तथा नियमन में केवल मात्र नियमों के विपरीत एवं फ्राड व मिसरिप्रेजेन्टेशन को ही देखा जा सकता है, परन्तु इन तीनों बातों में से कोई भी बात मौजूद नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कथित आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय स्वयं ने शहादत इकठ्ठी कर आदेश पारित किया है, जबकि शहादत इकठ्ठा करने का काम प्रार्थी का होता है। दिनांक 27–07–1972 से पूर्व जो नियमन सर्कुलर के तहत पार्टियों को किये गये हैं, उन नियमन निरस्ती का कोई प्रार्थना पत्र

लाई नहीं होता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा से मंगवाई गयी तथा जिस दिन रिपोर्ट मंगवाई गयी उस दिन मौके पर कटीली झाड़ियां, थोर की बाड़ होना पाया गया तथा एक दो स्थानों पर मेड़ बनी होकर थोर की बाड़ लगी होना भी पाया गया, इससे स्पष्ट है कि 44 वर्षो बाद भी जमीन कृषि के काम में आ रही है तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। रेस्पोन्डेन्ट का एक दिन भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा। भूमि सेटलमेन्ट की गलती से बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जिसे अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी गयी। नियम 20 के प्रोवीजों के प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय को यह तय नहीं करना है कि मूल आवंटन अन्य स्थान पर है व नक्शे में पैमूदगी अन्य स्थान पर कर दी गयी है, यह कार्यवाही तो केवल सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। नियमन निरस्ती की कार्यवाही में इस प्रकार के आदेश नहीं दिये जा सकते। जिला कलक्टर के यहां नियमन निरस्ती का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है, क्योंकि यह नियमन सन् 1968 का है तथा ऐसे नियमन को निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट भी एकतरफा बनाकर पेश हुई है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पेश शुदा रेकार्ड में प्रथम रेकार्ड जो कि अभी उपलब्ध है उससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 827 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज थी। पेश शुदा खेवट खतौनी संवत् 2029 से 2032 में यह भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होने का उल्लेख है। नामान्तरकरण संख्या 91 जो कि वर्ष 1991 में दर्ज हुआ है, उसमें यह भूमि गैर खातेदारी हक से अपीलान्ट के नाम है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि यह भूमि उसे नियमन से प्राप्त हुई हो। आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब जो दिनांक 27–01–2014 को पेश किया गया है, उसमें कलम संख्या 5 में उक्त भूमि का आवंटन होना वर्णित किया है तथा कलम संख्या 4 ''अ'', 4 ''द'', 4 ''र'' व अन्य कई स्थानों पर आवंटन होना बताया है तथा कलम संख्या 4 ''य'' में

यह भी कथन किया है कि विपक्षी संख्या 1 को मौके पर नापकर कब्जा सिपुर्द किया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों से भूमि विपक्षी/अपीलान्ट को नियमन किया जाना प्रकट नहीं होता है तथा इस बाबत् उसके द्वारा कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, न ही उसके द्वारा नियमन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी है। जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 अर्थात सन् 1986 में आराजी नंबर 827/1 नंबर उसके गैर खातेदारी में दर्ज है। किसी को जब भूमि का नियमन किया जाता है तो भूमि गैर खातेदारी से दर्ज होने से प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलान्ट स्वयं अपने कथनों के अधिकांश स्थानों पर भूमि का आवंटन होना बताया है तथा कुछ स्थानों पर नियमन होना बताता है, जो उसका स्वयं का वैचारिक विरोधाभाष है। भूमि उसके गैर खातेदारी में दर्ज होने तथा कब्जा सिपुर्द करने से भी यह कदापि नहीं माना जा सकता कि यह भूमि उसे नियमन की गयी हो। अतएवं अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का नियमन होना बताया जाकर आवंटन नियमों के नियम 1970 के नियम 20 के परन्तुक जो 1972 में जारी किये गये हैं, उसके संबंध में उनकी नजीर एलाटमेन्ट नियम 1970 रूल 20 पेज 104, आर.आर.डी. 1984 पेज 439 एवं आर.आर.डी. 1987 पेज 239 पेश की गयी हैं, जिनसे यह स्थापित किया गया है कि दिनांक 19–07–1972 से पहले किये गये नियमन पर प्रोस्पेक्टिव प्रभाव से नियमन निरस्त नहीं किया जा सकता, इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि स्पष्टया उक्त भूमि 1968 में अपीलान्ट को भूमि नियमन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा अपीलान्ट स्वयं के अभिकथनों/पेश शुदा रेकार्ड से यह भूमि अपीलान्ट को नियमन की जाना प्रमाणित नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलान्ट के नाम भूमि आज भी गैर खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन ही माना जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तलब की गयी है तथा खसरा गिरदावरियां इत्यादि मंगवायी गयी हैं, उससे भी अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा होने के तथ्य प्रमाणित नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अपीलान्ट को वर्ष 1968 में है तब से लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के वर्ष 2012 तक अर्थात 44 वर्ष तक भूमि उसके गैर खातेदारी में ही दर्ज रहना अत्यन्त आश्चर्य जनक है एवं यह स्वयं अपने आपमें इस बात का धोतक है कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटन

नियमों में हालांकि अभी 3 वर्षो की अवधि में काश्त किये जाने प्रावधान नहीं है, परन्तु एक निश्चित अवधि में आवंटी को अवश्य काश्त कर लेनी चाहिए। अपीलान्ट द्वारा 44 वर्षो में कभी काश्त की गयी हो इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा यह भूमि अपीलान्ट को नियमन किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है।

जहां तक आवंटन शर्तो की पालना का प्रश्न है, आवंटन शर्तो की पालना किया जाना पेश शुदा रेकार्ड से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कि आवंटन के साथ–साथ अनियमितता के तथ्यों के दृष्टिगत एवं उसके साथ–साथ यह विचार किया जाना भी प्रसांगिक है कि जब आवंटन 6 बीघा का हुआ है तो आवंटी सिर्फ 0.9500 हैक्टर भूमि की ही इन्द्राज दुरस्ती क्यों करवाना चाहता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आवंटन जो किया गया है उसमें भूमि समचौरस होकर ग्राम की सरहद के अन्दर होना स्पष्ट है, जबकि वर्तमान जो इन्द्राज दुरस्ती की गयी है वह त्रिकोणीय भूमि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो प्रमुख तथ्य मानते हुए आवंटन निरस्त किया है, उसमें आवंटी का कब्जा नहीं होना माना है एवं उक्त कब्जा नहीं होने के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर से प्राप्त की गयी रिपोर्ट को न्यायहित में राजस्व एजेन्सी से तलब किया जाना निसंदेह उनकी क्षेत्राधिकारिता का विषय है। प्रकरण में जहां तक इन्द्राज दुरस्ती का प्रश्न है, इन्द्राज दुरस्ती एक पृथक विषय है तथा उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी आदेश जारी गये हैं, वह अलग विषय है, परन्तु इस प्रकरण में आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पूरी तरह से स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर अपना कब्जा साबित नहीं करवाया गया है, जबकि इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होना एवं उनके मकानात बने होना स्पष्ट है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर शिवलाल बनाम राज्य निर्णय दिनांक 05–03–2003 प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त प्रकरण के निर्णय की नकल भी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें नियमन के आधार पर 1972 के नियम 20 के परन्तु बाबत् निर्णय किया गया है, जबकि इस प्रकरण में नियमन होना प्रमाणित नहीं है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 595 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवंटन नियम

14 (4) के तहत जिला कलक्टर को इस प्रकार की साक्ष्य इकठ्ठा किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तलब की गयी है उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता एवं तथ्यों के दृष्टिगत इस नजीर के तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. पेज 591 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें एकतरफा रिपोर्ट मंगवाये जाने को वोईड बताया गया है। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में तैयार किया जाकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने बाबत् रिपोर्ट की गयी है। अतएवं उक्त रिपोर्ट को चुनौती एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर नहीं दी जा सकती, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2005 पेज 113 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कलक्टर को तकनीकि आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जाना माना है। इस प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से अपीलान्ट ने अपना प्रकरण नियमन पर आधारित होना माना है तो आवंटन बाबत् नजीर पेश किया जाना आश्चर्य प्रकट करता है तथा आवंटन बाबत् 44 वर्षो में उसका कभी भी कब्जा नहीं पाया गया है अतएवं आवंटन को बहाल रखा जाना किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं माना जा सकता। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1993 पेज 552 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावे के लम्बित होते हुए समरी प्रोसिडिंग्स नहीं चलायी जा सकती। उक्त नजीर में आवंटन या नियमन से संबंधित कोई तथ्य विवेचन नहीं है तथा इस प्रकरण के तथ्य एवं विचाराधीन प्रकरण के तथ्य प्रथक हैं, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1994 सुप्रिम कोर्ट पेज 1128 पेश की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो दशकों से कब्जा हो तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में अपीलान्ट के कब्जे बाबत् कोई प्रमाणन नहीं है। वहीं इसके विपरीत

आवंटन शर्तो की उसके द्वारा अपालना किये जाने के तथ्य खसरा गिरदावरियों से पूर्णतया स्पष्ट है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा राजस्थान सरकार के 5 अक्टूबर 1967 के सकुर्लर के आधार पर 1971 में पुनः जारी किये गये सर्कुलर की नजीर प्रस्तुत की है, जिसमें कब्जे के नियमन के प्रावधान वर्णित हैं। इस प्रकरण में वर्ष 1968 में अपीलान्ट को नियमन किया गया है, इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा उसके द्वारा अपने जवाब में कुछ स्थानों पर भूमि को नियमन किया जाना बताया है, जबकि अधिकांश स्थानों पर आवंटन होना वर्णित किया है तथा भूमि नापकर उसे कब्जा दिये जाने का कथन किया है, जबकि कब्जे बाबत् उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे उक्त भूमि पर 44 वर्षो में उसका कभी भी कब्जा साबित होता हो। भूमि नियमन किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन शर्तो की अपालना एवं कब्जे के अभाव में आवंटन निरस्त किया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक प्रकरण में फ्रोड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन का प्रश्न है, वह इन्द्राज दुरस्ती से संबंधित प्रकरण में हो सकता है और उक्त बिन्दु पर सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सक्षम न्यायालयों द्वारा इस बाबत् निर्णय किया जायेगा।

हम समग्र विवेचन एवं हमारे विवेक अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–08–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर